

तारीख पर तारीख पर क्या आना एक बार में होगा मन का मिलन

सुलहनीय मामलों को सहमति से खत्म करने की पहल शुरू

जासं, वोकारो : सुलहनीय मामलों को आपसी सहमति के आधार पर लोग निष्पादित कराएं। ऐसा होने पर दोनों पक्षकारों में किसी की न तो जीत होती है और ही कोई हारता है। दोनों के बीच निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलने वाले लंबे केस की श्रृंखला पर भी विराम लग जाता है।

यह कहना है जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना का। सोमवार से शुरू हुए मन का मिलन पखवारा नामक कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता पीडीजे न्याय सदन में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थीं। 14 जून तक यह कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष जब आपसी समझौते से अपने मामलों को समाप्त कर लेते हैं तो इस वाद का अंतिम निर्णय हो जाता है। ऐसे में कोई भी पक्ष ऊपरी अदालत में अपील नहीं करता है। ऐसी स्थिति में न्याय प्रशासन पर बढ़ रहे मुकदमों का बोझ भी समाप्त हो जाता है। मन का मिलन पखवारा मध्यस्थता के माध्यम से वादों के निष्पादन की एक अनूठी पहल है। यह जन मानस के लिए काफी लाभकारी व कल्याणकारी साबित होगा। इसके लिए मध्यस्थ को भी बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पक्षकार समझौता के प्लेटफार्म पर आ जाएं इसके लिए मध्यस्थ बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत पीडीजे ने न्याय सदन में दीप प्रज्वलन कर किया।



जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मन का मिलन पखवाड़ा का दीप जला कर विधिवत उद्घाटन करती प्रधान जिला व सत्र प्रधान न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना • जागरण

14 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम का प्रधान जिला न्यायाधीश ने किया उद्घाटन

- वोली-सुलह व समझौते से मामला समाप्त होने पर कम होगा मुकदमों का बोझ
- सोमवार से शुरू हुआ मन का मिलन पखवाड़ा 14 जून तक चलेगा, होगा मामलों का निष्पादन

पति-पत्नी के बीच हुआ सुलह

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव निभा रंजना लकड़ा ने बताया कि चोला नापित की शादी सुमन कुमारी से हुई थी। वर्ष 2018 से यह दंपती कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे। मन का मिलन पखवारा नामक कार्यक्रम के पहले दिन ही मध्यस्थों के सहयोग से दोनों के बीच चल रही लंबी कानूनी लड़ाई को सुलह आधार पर समाप्त करवा दिया गया।

थाने से पुलिस अफसर की लग रही ड्यूटी

जासं, वोकारो : हर दिन थाने से एक पुलिस अफसर को इस कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है। अगर थाने से संबंधित मामला है तो उनके पास सुलझाने के लिए भेजा जाएगा।

मध्यस्थ भी मदद करेंगे। जिन मामलों में मुकदमा होने वाला है

उसमें यह प्रयास होगा कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाए और मामला आगे न बढ़े। इसके अलावा जिन मामलों में मुकदमा हो चुका है उसमें भी यह प्रयास हो रहा है कि सुलह-समझौते के आधार पर वह समाप्त हो जाए।

मन का मिलन पखावाड़ा की विधिवत शुरूआत



दबंग हिन्द, संवाददाता

चाईबासा । झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वाधान में 29 मई 2023 से 14 जून 2023 तक कार्यक्रम मन का मिलन पखावाड़ा की विधिवत शुरूआत जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के तत्वधान में स्थानीय सिविल कोर्ट में हुआ, एक पखावाड़े तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य मध्यस्थता के बारे में जागरूकता फैलाने और उसके माध्यम से लोगों की विविध समस्याओं का समाधान करना है, जिसमें दोनों पक्षकारों का समय, पैसा और संबंध तीनों की बचत होगी, झालसा के द्वारा कार्यान्वित इस महत्वकांक्षी कार्यक्रम में मुकदमे के पूर्व ही दोनों पक्षों में बातचीत और

सुलहनामे के आधार पर मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का समाधान कर आपसी संबंध की मजबूती को बनाए रखना और न्यायालय से मुकदमे के बोझ को कम करना है, प्रथम दिन में प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विश्वनाथ शुक्ला ने कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेने की अपील भी की है, इस दौरान हेल्प डेस्क के माध्यम से कई लोगों को मध्यस्थता के फायदे की जानकारी प्रदान की गई तथा बड़े टीवी स्क्रीन के माध्यम से डालसा के कार्य एवं मध्यस्थता को प्रदर्शित किया गया, उपरोक्त जानकारी प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने दी।

पूजा : सानवार का
और से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए

एर 'मन का मिलन' पखवाड़ा वादों के निष्पादन की अनूठी पहल : पीडीजे

संवाददाता, बोकारो

कैंप दो स्थित न्याय सदन में सोमवार को मध्यस्थता पर आधारित विशेष अभियान मन का मिलन पखवाड़ा व मध्यस्थों के लिए तीन दिवसीय ऑनलाइन एडवांस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ. उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष कुमारी रंजना अस्थाना, प्राधिकार की सचिव निभा रंजना लकड़ा, मास्टर ट्रेनर एक राय, रिटेनर अधिवक्ता ने किया. सुश्री अस्थाना ने कहा कि मन का मिलन पखवाड़ा मध्यस्थता के माध्यम से वादों के निष्पाद की एक अनूठी पहल है. जनमानस के लिए लाभकारी साबित होगा. कहा कि विशेष अभियान 14 जून तक चलेगा. जिले में मध्यस्थता से संबंधित विधिक जागरूकता शिविर लगेगा. इसमें संबंधित पक्ष परामर्श के



उद्घाटन करती कुमारी रंजना अस्थाना.

लिए न्याय सदन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो में मध्यस्थ, पुलिस पदाधिकारी व सचिव से सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक मिल सकेंगे. कार्यक्रम के दौरान डालसा सभागार में पति-पत्नी चोला नापित व सुमन कुमारी के मामले को मध्यस्थ, अधिवक्ता व पुलिस अधिकारी के सहयोग से निष्पादित किया गया.

Mann Ka Milan Pakhwada formally started

DN ■ Chaibasa

Under the aegis of Jharkhand State Legal Services Authority, Ranchi, from 29 May 2023 to 14 June 2023, the program 'Man Ka Milan Pakhwada' was formally started in the local civil court under the aegis of the District Legal Services Authority, Chaibasa, the purpose of this fortnight-long program To spread awareness about mediation and solve various problems of people through it, in which time, money and relations of both the parties will be saved, in this ambitious program implemented by Jhalsa, both the parties can negotiate before the trial and Resolving the dispute through arbitration on the basis of conciliation



is to maintain the strength of mutual relations and reduce the burden of litigation from the court, on the first day, the authority's chairman co-principal district and sessions judge Mr. Vishwanath Shukla formally started the program. While doing this, more and more people have also appealed to take

advantage of it, during this, information about the benefits of mediation was provided to many people through the help desk and the work and mediation of Dalsa was displayed through big TV screens. The above information was given by the Secretary of the authority, Rajeev Kumar Singh.

गोली मार कर हत्या कर दी थी। चचाह कि
हार के कुछ अपराधी भी थे।

पिटार्ई कर दी थी। इससे भागलपुर
निवासी गोलबती देवी की मौत हो गई

अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
की गई थी।

मन का मिलन पखवाड़ा का शुभारंभ



प्रचार वाहन को रवाना करते प्रधान जिला जज। • हिन्दुस्तान

साहिबगंज। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित लोक अदालत कक्ष में मन का मिलन पखवाड़े का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को प्रोत्साहित इस विशेष अभियान मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन 29 मई से 14 जून तक किया जा रहा है।

इसी कड़ी में आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, जिला जज तृतीय वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सीजेएम शैलेन्द्र कुमार, वरीय सिविल जज राजेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीजेएम आलोक सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी सुमित कुमार वर्मा ने एलएईडी युक्त चलंत प्रचार-प्रसार वाहन को भी रवाना किया। यह वाहन गांव-गांव घूमकर मध्यस्थता के बारे में लोगों को अवगत कराएगा। प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत पूरे जिले में मध्यस्थता से संबंधित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आम लोगों को मध्यस्थता के माध्यम से वादों को निष्पादित किए जाने के महत्व के बारे में

प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू

साहिबगंज। झालसा के मन का मिलन पखवाड़ा को लेकर 10 मध्यस्थ का प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू। विधिका सेवा प्राधिकार सचिव सह सीनियर सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि मध्यस्थ की कार्यशाला 31 मई तक चलेगी। प्रशिक्षण के बाद सभी मध्यस्थ लोगों को 14 जून तक मन का मिलन पखवाड़ा को लेकर जागरूक करेंगे। उक्त अभियान से लोग केस के लंबे दौर में ना पड़ पैसा और समय बचाते हुए मध्यस्था को चुनेंगे। इससे न्यायालय का समय भी बचेगा। झालसा के बैनर तले जागरूकता अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा।

जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम नाथ तिवारी, मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरविंद गोयल, डिप्टी डिफेंस काउंसिल रवींद्र कुमार श्रीवास्तव, कामिनी शर्मा, सहायक लीगल डिफेंस काउंसिल अमरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, रतन कुमार, ज्योति कुमारी जिला पैनल अधिवक्ता मुरलीधर साह, बालमुकुंद पंडित सहित पारा लीगल वोलेंटियर मौजूद थे।

कता

(TO)

058
12)

5.2023

जजा
(ST)

45

36

34

ोचर्स,

राज्य

किये

नकारी

लाईन

(IBTO)

एक ग्राम की चहारदीवारी भी क्षतिग्रस्त कर दी है. जंगल में जहां हाथी

मुस्तौद
उसे खदे

'मन का मिलन' पखवारा शुरू



पत्र
मां

पत्रका
लेकर
बासु
प्रखंड
बीडी
मुख्य
सौपा
समा
गति
जन

तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में मध्यस्थता पर आधारित विशेष अभियान "मन का मिलन" पखवारा सोमवार को शुरू हुआ. उद्घाटन एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव दीपक कुमार साहू ने किया. उन्होंने बताया कि यह विशेष अभियान 14 जून तक चलेगा. इसमें संबंधित पक्ष परामर्श के लिए तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में मध्यस्थ, पुलिस पदाधिकारी एवं सचिव से सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक मिल सकते हैं. मन का मिलन पखवारा मध्यस्थता के माध्यम सेवादों के निष्पादन की अनूठी पहल है. इसके लिए प्रतिदिन बेंच का गठन किया गया है. कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए लोगों के बीच पीएलवी ने पर्चा का वितरण किया. पहले दिन मध्यस्थता केंद्र में कुछ मामलों में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए वार्ता हुई, मगर अगली तिथि में वार्ता करने की बात कही गयी. मौके पर बेंच के अधिवक्ता उमेश प्रसाद, शैलेश कुमार सिन्हा, गोमिया एएसआइ रंजीत पासवान सहित सुभाष कटरियार, संजय कुमार दे, चतुर्भुज कुमार, कृष्णा रजक, चंद्रदेव हंसदा आदि मौजूद थे.

सीआइएसएफ ने

प्रतिनिधि, बोकारो थर्मल

नाव

सहबगंज / पाकुड़ पंच

मन का मिलन हो जाये तो कहीं कोई विवाद की भावना नहीं: पीडीजे

झालसा के मन का मिलन पखवाड़ा का शुभारंभ



साहबगंज। विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में सोमवार से मन का मिलन पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान व्यवहार न्यायालय सभागार में 10 मध्यस्थ के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीडीजे मनोज कुमार सिंह में कहा कि मन का मिलन होता रहे तो फिर कहीं कोई विवाद की कोई संभावना नहीं रहेगी। उन्होंने प्राधिकार सचिव धर्मेन्द्र कुमार के कार्यों की तारीफ की। कहा कि झालसा की इस योजना से लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। वहीं प्राधिकार सचिव सह सीनियर सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार में कहा कि मन का मिलन पखवाड़ा के तहत 29 मई से 14 जून तक जनता को मध्यस्था के बारे में जागरूक करना है। ताकि लोग मुकदमे के लंबे दौर में ना पड़ पैसा और समय बचाते हुए मध्यस्था को चुने। इससे न्यायालय का समय भी बचेगा। कहा कि अभियान ज़िले भर में चलाया जाएगा। मौके पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो बीके श्रीवास्तव, सीजेएम शैलेंद्र कुमार, एसडीजेएम एके सिंह, जेएम सुमित कुमार व अन्य मौजूद थे।

गुमला • सिसई • पालकोट • घाघरा • डुमरी

व्यवहार न्यायालय गुमला में पीडीजे ने कराया कार्यक्रम का शुभारंभ, केसों में समझौते पर जोर मन का मिलन पखवाड़ा मध्यस्थता कार्यक्रम शुरू, 14 जून तक करा सकेंगे वादों का निपटारा

भास्कर न्यूज | गुमला

व्यवहार न्यायालय गुमला में पीडीजे संजय कुमार चंद्ररियावी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मन का मिलन पखवाड़ा मध्यस्थता कार्यक्रम का शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 14 जून तक चलाया जायेगा। जिसमें डालसा द्वारा गठित टीम जिसमें डालसा सचिव, मध्यस्थ, अधिवक्ता तथा पुलिस विभाग के सदस्य शामिल हैं। जिनके द्वारा न्यायालय में आने वाले लोग तथा पक्षकारों को मध्यस्थता को अपनाकर अपने वादों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। पीडीजे ने कहा कि इस पखवाड़ों के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि अधिक से अधिक लोगों को मध्यस्थता के लिए प्रेरित किया जा सके।



ताकि वे अपने वादों का निपटारा कम समय तथा कम खर्च में कर सकें। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस पखवाड़े का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि वे मिडिएशन को चुने तथा वाद पूर्व मिडिएशन का चुनाव कर

सर्वप्रथम अपने विवादों का निपटारा आपसी सहमति से करें। उनके द्वारा आगे कहा गया कि इस कार्यक्रम का थीम चूज मिडिएशन नोट लिटिगेशन रखा गया है। साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन

प्रत्येक ब्लॉक के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा पीएलवी के माध्यम से भी किया गया तथा ग्रामीणों के बीच यह संदेश पहुंचाया गया कि वे अपने विवादों को मध्यस्थता के आधार पर खत्म कर सकें। कार्यक्रम का संचालन डालसा सचिव पार्थ सारथी घोष के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डीसी. अवस्थी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, अंजनी अनुज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, मनोरंजन कुमार अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, निर्मला बारला अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रणव कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जया स्मिता कुजूर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, एलएडीसीएस के अधिवक्तागण, मध्यस्थ तथा न्यायालय में आये लोग उपस्थित थे।

सिविल कोर्ट में मन का मिलन पखवाड़ा शुरू

गुमला, संवाददाता। व्यवहार न्यायालय, गुमला में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में मन का मिलन पखवारा मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। यह कार्यक्रम 14 जून तक चलाया जायेगा। जिसमें डालसा द्वारा गठित टीम जिसमें डालसा सचिव, मध्यस्थ, अधिवक्ता व पुलिस विभाग के सदस्य शामिल हैं।

उनके द्वारा न्यायालय में आने वाले लोग पक्षकारों को मध्यस्थता को अपना कर अपने मुकदमों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चंद्रियावी ने कहा कि इस पखवाड़े के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि

भरनो में विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम आयोजित

भरनो। ब्लॉक भवन के प्रांगण में सोमवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ बीडीओ तेज कुमार हस्सा, सीओ संजीव कुमार, कृषि पदाधिकारी रामकिशुन ओहदार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर बीडीओ ने कहा यह शिविर 29 मई से 14 जून तक मन का मिलन पखवारा के तहत आयोजित किया जाएगा।

अधिक से अधिक लोगों को मध्यस्थता के लिए प्रेरित किया जा सके, ताकि वे अपने वादों का निपटारा कर सकें।

डालसा की ओर से जिले के सभी प्रखंडों में मिलन पखवाड़ा शुरू

भास्कर न्यूज|गिरिडीह



बेंगाबाद थाना में उपस्थित डालसा के लोग।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से सोमवार को मन का मिलन पखवाड़ा शुरू किया गया। पखवाड़ा 14 जून 2023 तक गिरिडीह न्याय मंडल में मनेगा। सोमवार को इस कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में एक साथ की गई। इस बाबत प्राधिकार के सचिव सौरव कुमार गौतम ने कहा कि झालसा रांची के निर्देश पर मध्यस्थता की महत्ता एवं उपयोगिता को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आमजनों के बीच निरंतर जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं, दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों से मध्यस्थता तथा लोक अदालत की सफल कहानियों के बारे में जानकारी देना, विभिन्न

न्यायालयों में लंबित मामलों तथा वाद पूर्व मामलों में पक्षकारों द्वारा आवेदन प्राप्त कर उन्हें विधिक सहायता देना एवं आमजनों तथा पक्षकारों को मध्यस्थता से संबंधित सुझाव एवं सलाह देने का काम किया जाएगा। इसके लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रखंडवार टीमों का गठन किया गया। इसमें पारा लीगल

वालेंटियर्स के माध्यम से आमजनों के बीच मध्यस्थता के बारे में प्रचार-प्रसार कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने आमजनों, पक्षकारों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, एनजीओ के कर्मियों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया कि इस कार्यक्रम के बारे में अपने-अपने स्तर से प्रचार प्रसार करें, ताकि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से आम लोग लाभान्वित हो सकें।

मन का मिलन पखवारा मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरुआत



दबंग हिन्द, संवाददाता

गुमला । व्यवहार न्यायालय, गुमला में दिनांक 29.05.2023 को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मन का मिलन पखवारा मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया । यह कार्यक्रम दिनांक 29.05.2023 से लेकर दिनांक 14.06.2023 तक चलाया जायेगा जिसमें डालसा द्वारा गठित टीमों जिसमें डालसा सचिव, मध्यस्थ, अधिवक्ता तथा पुलिस विभाग के सदस्य शामिल हैं जिनके द्वारा न्यायालय में आने वाले लोग तथा पक्षकारों को मध्यस्थता को अपनाकर अपने वादों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया जायेगा । कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला ने कहा कि इस पखवारों के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि अधिक से अधिक लोगों को मध्यस्थता के लिए

प्रेरित किया जा सके ताकि वे अपने वादों का निपटारा कम समय तथा कम खर्च में कर सके । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस पखवाड़े का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि मेडिएशन को चुने तथा मेडिएशन का चुनाव कर सर्वप्रथम अपने विवादों का निपटारा आपसी सहमति से करे । कार्यक्रम का संचालन डालसा सचिव श्री पार्थ सारथी घोष के द्वारा किया गया । कार्यक्रम में श्री डी. सी. अवस्थी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, श्री अंजनी अनुज, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, श्री मनोरंजन कुमार, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रीमती निर्मला बारला, अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिरी, श्री प्रणव कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सुश्री जया स्मिता कुजूर, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, एल.ए.डी.सी.एस. के अधिवक्तागण, मध्यस्थ तथा न्यायालय में आये लोग उपस्थित थे ।

ज्ञान महिला समिति के द्वारा गरीब बिटिया की शादी में सहयोग किया गया

फेडरेशन करे सम्मान

डालसा के मन का मिलन पखवारा शुरू

संवाद सहयोगी, गोइडा : झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सोमवार से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा)की ओर से मन का मिलन पखवारा की शुरुआत की गई। इसके तहत लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर मिल सकेगा।

पखवारा के पहले दिन व्यवहार न्यायालय स्थित फ्रंट आफिस सहित प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना में वादों को सुलझाने की दिशा में विवाद को लेकर उभय पक्षों के बीच मध्यस्थता कराया गया।

इसके अलावा आम लोगों को पखवारा के संबंध में जानकारी दी गई। पखवारा के प्रचार-प्रसार को लेकर जगह-जगह बैनर-पोस्टर लगाया गया है। वहीं जिला मुख्यालय सहित प्रखंड स्तर पर हेंडबिल का वितरण किया जा रहा है। यह अभियान 29 मई से 14 जून 23 तक चलाया जायेगा।



व्यवहार न्यायालय के फ्रंट आफिस में उपस्थित पीएलवी व अन्य • जागरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पीडीजे देवेन्द्र कुमार पाठक ने कहा कि डालसा के निर्देश पर मन का मिलन पखवारा आयोजित किया जा रहा है। मन का मिलन पखवाड़ा में प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनों तरह के मामलों पर विचार किया जायेगा। इसमें सबसे अधिक प्राथमिकता केनैमिली विवादों का समाधान करने पर रहेगा। इसके लिए डालसा कार्यालय में डालसा सचिव, एक पुलिस पदाधिकारी एवं रिटैनर वकील मिलकर करेंगे। पखवारा के पहले दिन जानकारी लेने को लेकर आम लोगों की भीड़ लगी रही।

व्यवहार न्यायालय में मन का मिलन पखवारा मध्यस्थता कार्यक्रम की हुई शुरुआत

एक संदेश संवाददाता

गुमला: व्यवहार न्यायालय, गुमला में 29 मई को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मन का मिलन पखवारा मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। यह कार्यक्रम 29 मई से लेकर 14 जून तक चलाया जायेगा जिसमें डालसा द्वारा गठित टीमों जिसमें डालसा सचिव, मध्यस्थ, अधिवक्ता तथा पुलिस विभाग के सदस्य शामिल हैं जिनके द्वारा न्यायालय में आने वाले लोग तथा पक्षकारों को मध्यस्थता को अपनाकर



अपने वादों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए संजय कुमार चंद्रयावी माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला ने कहा कि इस पखवारों के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि अधिक से अधिक

लोगों को मध्यस्थता के लिए प्रेरित किया जा सके ताकि वे अपने वादों का निपटारा कम समय तथा कम खर्च में कर सके। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस पखवाड़े का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि वे मेडिएशन को चुने तथा वाद पूर्व मेडिएशन का चुनाव कर सर्वप्रथम अपने विवादों का

निपटारा आपसी सहमति से करे। उनके द्वारा आगे कहा कि इसकार्यक्रम का थीम Choose Mediation; Not litigation रखा गया है। ज्ञात हो कि डालसा के द्वारा कई टीमों इस उद्देश्य से गठित किया गया है जो व्यवहार न्यायालय, गुमला में 29 मई से 14 जून तक मध्यस्थता के लाभों के संबंध में लोगों को जागरूकता करेंगे। साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक ब्लॉक के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा पी.एल.वी.एस के माध्यम से भी किया गया तथा ग्रामीणों के बीच यह संदेश पहुंचाया गया।

मन का मिलन पखवारा के तहत वादों की सुनवाई शुरू

स्वतंत्र पत्र



गोहा (एप्र)। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर सोमवार से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मन का मिलन पखवाड़ा शुरू हो गया। इसके तहत लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। पखवाड़ा के पहले दिन व्यवहार न्यायालय स्थित फ्रंट आफिस सहित प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना में वादों को सुलझाने की दिशा में उभय पक्षों के बीच मध्यस्थता कराया गया। इसके अलावा आम लोगों को पखवारा के संबंध में जानकारी दी गई। पखवारा के प्रचार- प्रसार को लेकर जगह- जगह बैनर-पोस्टर लगाया गये हैं। वहीं जिला मुख्यालय सहित प्रखंड स्तर पर

हैंडविल का वितरण किया जा रहा है। यह अभियान 29 मई से 14 जून 23 तक चलाया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पीडीजे देवेन्द्र कुमार पाठक ने कहा कि झालसा के निर्देश पर मन का मिलन पखवारा आयोजित किया जा रहा है। मन का मिलन पखवाड़ा में प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनों तरह मामले पर विचार किया जायेगा। इसमें सबसे अधिक प्राथमिकता फैमिली विवादों को समाधान करने पर रहेगा। इस पखवारा में पारिवारिक मामले से संबंधित वादों का समाधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में बैठकर डालसा सचिव, एक पुलिस पदाधिकारी एवं रिटैनेर वकील मिलकर करेंगे।

मन का मिलन पखवाड़ा के तहत वादों की सुनवाई शुरू



कार्यक्रम में शामिल पीएलवी

आवाज प्रतिनिधि

गोड्डा। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर सोमवार से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मन का मिलन पखवाड़ा शुरू हो गया। इसके तहत लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। पखवाड़ा के पहले दिन व्यवहार न्यायालय स्थित फ्रंट आफिस सहित प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना में वादों को सुलझाने की दिशा में उभय पक्षों के बीच मध्यस्थता कराया गया। इसके अलावा आम लोगों को पखवारा के संबंध में जानकारी दी गई। पखवारा के प्रचार- प्रसार को लेकर जगह-

जगह बैनर-पोस्टर लगाया गये हैं। वहीं, जिला मुख्यालय सहित प्रखंड स्तर पर हेंडबिल का वितरण किया जा रहा है। यह अभियान 29 मई से 14 जून 23 तक चलाया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पीडीजे देवेन्द्र कुमार पाठक ने कहा कि झालसा के निर्देश पर मन का मिलन पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़ा में पारिवारिक मामले से संबंधित वादों का समाधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में बैठकर डालसा सचिव, एक पुलिस पदाधिकारी एवं रिटेनर वकील मिलकर करेंगे। पखवारा के पहले दिन जानकारी लेने को लेकर आम लोगों की भीड़ लगी रही।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने किया 'मिलन' पखवाड़ा का शुभारंभ



चाईबासा कार्यालय, 29 मई : जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय में 29 मई से 14 जून तक चलने वाले मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला द्वारा किया गया. उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की. इस कार्यक्रम के तहत मध्यस्ता के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु लोगों को जागरूक करना है. जिसमें दोनों पक्षकारों का समय, पैसा एवं संबंध तीनों की बचन होगी. दोनों पक्षों से बताचीत और सुलहनामे के आधार पर विवादों का समाधान किया जाएगा, ताकि आपसी संबंध बना रहे और न्यायालय से मुकदमों का बोझ कम हो सके. इस अवसर पर प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह उपस्थित थे.

मन का मिलन पखवाड़ा को लेकर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम

आवाज प्रतिनिधि।

कुंडहित/जामताड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा के जरिए मध्यस्थता पर आधारित विशेष अभियान मन का मिलन पखवाड़ा आयोजन 29 मई से 14 जून तक होगा। जिसको लेकर प्रखंड कार्यालय सहित विभिन्न गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर पीएलबी दुलाल चंद्र भुई ने कहा कि मिलन पखवाड़ा का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएलएसए अध्यक्ष रंजीत कुमार के मार्गदर्शन और डीएलएसए सचिव अभिनव के नेतृत्व में होगा। विशेष अभियान के तहत पूरे जिले में मध्यस्थता से संबंधित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें मध्यस्थता के माध्यम सेवादों का निष्पादन करने के महत्व के बारे में



जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। अभियान के दौरान जागरूकता कार्यक्रम परामर्श सेवाएं दृश्य श्रव्य से मध्यस्थता, लोक अदालत पर सफल कहानियों का प्रदर्शन लंबित अथवा मुकदमा पूर्व स्तर के मामलों का आवेदन एवं सुझाव आदि प्राप्त किए जाएंगे। इस पखवाड़े के दौरान परामर्श हेतु

मध्यस्थ पुलिस पदाधिकारी एवं डीएलएसए सचिव से प्रातः 7:00 से दोपहर 12:00 बजे तक मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि मन का मिलन पखवाड़ा मध्यस्थता के माध्यम सेवादों का निष्पादन की एक अनूठी पहल है जो आम जनमानस के लिए काफी लाभकारी एवं कल्याणकारी साबित होगा। इस अभियान को

पूर्णता सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस अभियान में विवाद पूर्व निस्तारण योग्य मामले का भी स्वागत निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे मध्यस्थता में भाग लेने वाले दोनों पक्षकारों की बातें पूर्णता गोपनीय रहती है। मध्यस्थता में भाग लेने वाले पूर्णता पक्षकारों की सहमति पर निर्भर है। दोनों पक्ष मिलकर विवाद का समाधान बनते हैं और दोनों के समय धन एवं व्यक्तिगत संबंधों की रक्षा भी होती है मध्यस्थता में दोनों पक्षों की जीत होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों से अपील की इस विशेष अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिकवादों का निष्पादन किए जाने में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करें।

मन का मिलन पखवाड़े को लेकर जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया गया है, अब इसे मूर्त रूप देने की बारी है: राजेंद्र बहादुर पाल

सिविल कोर्ट परिसर में किया गया मन का मिलन मलन पखवाड़े का उद्घाटन

एक संदेश संवाददाता

लोहरदगा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देशानुसार दिनांक 26 मई से लेकर 14 जून तक चलाने वाले मन का मिलन पखवाड़े का सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सत्र- अध्याय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर कमलों द्वारा सिविल कोर्ट परिसर में फीता काट कर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का कार्यक्रम अगले एक पखवाड़े तक सकलता पूर्वक चलाने का निश्चय किया गया। उद्घाटन अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने कहा कि लोहरदगा जिले में मन का मिलन पखवाड़े को लेकर जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया गया है अब इसे मूर्त रूप देने की बारी है।

उत्तः जो लोग भी बेच में काम कर रहे हैं वह पखवाड़ों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे अपने विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने के लिए आगे आएं। इस अवसर पर डायना सविन राजेश कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम मध्यस्थता के प्रचार



प्रचार के लिए किया गया है। इसके तहत जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं, वीडियो पर सकल कहानियां को दिखाएंगे, लिखित अध्याय मुकदमा पूर्व स्तर के मामलों में आवेदन प्राप्त करना एवं आवश्यक सुझाव पखवाड़ों के देना शामिल है। मध्यस्थता के अंतर्गत प्रशिक्षित मध्यस्थ पखवाड़ों के बतों को गोपनीय

रखते हुए उनकी समस्याओं को सुनते हैं और पखवाड़ों की सहमति के आधार पर ही समाधान सुझा जाता है जिससे पखवाड़ों का समय, धन तथा व्यक्तित्व संबंधों के रक्षा होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लोहरदगा की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि कार्यरत मध्यस्थ के कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु आज से ही 0.3

दिनें का एडवॉकेट ऑनलाइन ट्रेनिंग डायना रांची के निर्देशानुसार शुरू किया गया है। जिसे लेने के पश्चात मध्यस्थ और भी बेहतर तरीके से पखवाड़ों के मामलों को सुलझा पाएंगे। उद्घाटन अवसर पर सभी मध्यस्थ, अर्ध न्यायिक स्थगितोपक, अधिवक्तालय तथा पार्टी पखवाड़ उपस्थित थे।

पर
मुलह
ताड़ा) :
कार के
ना प्रखंड
शिविर
मई से
विधिक
त्वावधान
मध्यस्थता
वाड़ा का
पीएलवी
को मन
मध्यस्थता
झौता के
निष्पादन

मामलों के निष्पादन में मन का मिलन पखवाड़ा अनूठी पहल



जामताड़ा प्रखंड में मध्यस्थता पर आयोजित मन का मिलन जागरूकता कार्यक्रम • जागरण

संवाद सूत्र, जामताड़ा : झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष व सचिव अभिनव के मार्गदर्शन पर मध्यस्थता पर आधारित विशेष अभियान, मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया गया। सचिव ने बताया कि यह प्रोग्राम 29 मई से 14 जून तक चलेगा। मन का मिलन पखवाड़ा मध्यस्थता के माध्यम से वादों का निष्पादन करने की एक अनूठी पहल है। जो आम जन मानस के लिए काफी लाभकारी व कल्याणकारी साबित होगा। मध्यस्थता में भाग लेने वाले दोनों पक्षकारों की बातें पूर्णतया गोपनीय रहती हैं। मध्यस्थता में भाग लेने वाले पक्षकारों

- 14 जून तक चलेगा मध्यस्थता पर आधारित मन का मिलन पखवाड़ा
- लोगों को दी जानकारी, मध्यस्थता से होने वाले लाभ को बताया

की सहमति पर निर्भर है। इसी को लेकर जिले के सभी प्रखंड में मन का मिलन पखवाड़ा को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें लोगों को जानकारी दी गई। मध्यस्थता से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। जिनमें मुख्य रूप से मौजूद सहायक नागेंद्र शर्मा, साथ में पीएलवी राजेश दत्त और काफी संख्या में लोग मौजूद थे।

खिलाफ भाकपा की रैली



मन का मिलन पखावाड़ा की विधिवत शुरुआत

चाईबासा। सोमवार को मन का मिलन पखावाड़ा की विधिवत शुरुआत जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के तत्वावधान में स्थानीय सिविल कोर्ट में आरंभ हुआ। प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेने की अपील भी की है। इस दौरान मध्यस्थता के फायदे के बारे में बताया। यह जानकारी प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि पखावाड़ा का सभी लोग लाभ उठाएं।